न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–12/2024–25

1. अमृत यादव, पिता–स्व0 सोबरन यादव
   साकिन–नोनगॉव, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा...प्रथम पक्ष

बनाम

1. सोहन यादव
2. तुलेश्वर यादव दोनों, पिता–प्रीतम यादव
3. खिरोधर यादव, पिता–स्व0 मुखलाल यादव
4. टिकेस यादव, पिता–खिरोधर यादव
5. दुखन यादव, पिता–स्व0 बाली यादव
   सभी साकिन–नोनगॉव, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा .... द्वितीय पक्ष

1 | 2 | 3

–आदेश–

1. इस वाद की प्रक्रिया आवेदक–अमृत यादव, पिता–स्व0 सोबरन यादव, ग्राम–नोनगॉव थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा के आवेदन पर प्राराम्भ किया गया है, इस वाद में द्वितीय पक्ष सोहन यादव, प्रीतम यादव एवं अन्य कुल–05, ग्राम–नोनगॉव, थाना–पत्थलगडा, जिला–चतरा है। इस न्यायालय में संधारित वाद से संबंधित विवादित भूमि की विवरणी निम्नवत् हैः–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकवा	मधे रकवा	अभ्युक्ति
नोनगॉव	119	1626	0.40 एकड़	0.20	

2. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन/बहस दाखिल कर न्यायालय को बताया गया किः–

(2.1) यह कि आवेदक के पिता–सोबरन यादव को बिहार भुदान यज्ञ कमिटी के द्वारा भुदान पर्चा संख्या–2572/1988–89 से थाना संख्या–67, मौजा–नोनगॉव, खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626 रकवा–0.40 ए0 भूमि प्राप्त है। प्रश्नगत भू–खण्ड प्राप्त होने के उपरान्त लगान रसीद निर्गत है तथा दखल कब्जा कायम है।

(2.2) यह कि द्वितीय पक्ष को भी बिहार भुदान यज्ञ कमिटी के द्वारा भुदान पर्चा मिला है जिसका मौजा–नोनगॉव, खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626 रकवा–0.10 ए0 भूमि तथा प्लॉट संख्या–1620, में रकवा–1.63 ए0 भूमि प्राप्त है। वर्तमान में द्वितीय पक्ष द्वारा अपने भूदान पर्चा में छेड़–छाड कर प्लॉट संख्या–1620 को 1626 बना दिया तथा प्रथम पक्ष को प्राप्त भूमि 0.40 ए0 भूमि में से 0.20 ए0 भूमि पर जबरन दखल कब्जा करना चाह रहे है। अनुरोध है कि द्वितीय पक्ष की राजस्व कागजातों की जॉच करते हुए प्रथम पक्ष का हक दिलाने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

(2.3) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अपने दावे समर्थन में 1. भूदान पर्चा संख्या–2572/1988–89 की छाया प्रति 2. ऑफलाईन/ऑनलाईन पंजी–2 की छाया प्रति 3. वर्ष–1993–94 का लगान रसीद संलग्न किया गया है।

3. द्वितीय पक्ष द्वारा अपने पक्ष में लिखित कथन दाखिल कर न्यायालय को बताया गया कि:–

(3.1) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा लाया गया वाद निराधार है तत्काल खारिज करने योग्य है। द्वितीय .पक्ष के पिता को प्रश्नगत भू–खण्ड भुदान पर्चा–2577/1988–89 से प्राप्त है। जिसका जमाबंदी कायम हो कर लगान रसीद निर्गत है तथा दखल कब्जा प्रारम्भ से ही कायम है। माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड राँची के द्वारा आदेश पारित है कि किसी भी व्यक्ति का भूमि से संबंधित जमाबंदी एंव सरकारी लगान रसीद निर्गत हो रहा है तथा दखल कब्जा की सम्पुष्टि होती है तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता है साथ ही लम्बे समय से चली आ रही हजमाबंदी को संक्षिप्त कार्रवाई में रद् नहीं किया जा कसता है।

(3.2) यह कि प्रथम पक्ष द्वारा जाली एवं बनावटी भूदान पर्चा प्रस्तुत कर प्रश्नगत भू–खण्ड पर दावा कर रहे है उनका कभी भी दखल कब्जा नहीं रहा है। अनुरोध है कि प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा करें।

4. अंचल अधिकारी, पत्थलगडा के पत्रांक–317, दिनांक–25.06.2025 द्वारा प्रश्नगत् भू–खण्ड से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त है, जो निम्न प्रकार है:–

I मौजा–नोनगॉव, थाना संख्या–67, खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–7.67 ए0 भूमि किस्म जंगल जमीन सर्वे खतियान के अनुसार गैरमजरूआ खास खाते की भूमि है।

II द्वितीय पक्ष का ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–15/1 पर खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–0.10 ए0 भूमि एवं अन्य के साथ कुल रकवा–2.93 ए0 भूमि प्रितम यादव वो मुखलाल यादव, पिता–कुंजल यादव के नाम से वर्ष–2003–04 तक लगान रसीद निर्गत है। पंजी–II के प्राधिकार कॉलम में भूदान लगान निर्धारण वाद संख्या–2577/1988–89 दर्ज है।

III प्रथम पक्ष का ऑनलाईन पंजी–II के पृष्ठ संख्या–25/1 पर खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–0.40 ए0 भूमि की जामाबंदी सोबरन यादव पिता–टेकन यादव, के नाम से वर्ष–2008–09 तक लगान रसीद निर्गत है प्राधिकार कॉलम में माल निर्धारण वाद संख्या–2572/1988–89 दर्ज हैं।

IV स्थलीय जाँच के क्रम में पाया गया की खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–1.63 ए0 भूमि पर प्रितम यादव, मुखलाल यादव के वंशज सोहन यादव एंव अन्य का दखल कब्जा स्थानीय ग्रामीणों के बताया गया, तथा इसी खाते के दूसरे भाग में 1.10 ए0 भूमि पर सोबरन यादव के वंशज अमृत यादव वगैरह का दखल कब्जा है।

Scanned with OKEN Scanner

5. उपरोक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन, विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी, पत्थलगडा के प्रतिवेदन अवलोकनोपरांत निम्न तथ्य पाया गया :–

i. उभय पक्ष द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड पर दखल कब्जा का दावा किया जा रहा है, अंचल अधिकारी, पत्थलगडा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–1.63 ए0 भूमि पर द्वितीय पक्ष तथा 1.10 ए0 भूमि पर प्रथम पक्ष का दखल कब्जा है।

ii. उभय पक्ष द्वारा बताया गया है कि प्रश्नगत भू–खण्ड भूदान पर्चा से प्राप्त है। द्वितीय पक्ष द्वारा अपने समर्थन में कोई भी राजस्व कागजात इस न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है।

iii. अंचल अधिकारी, ईटखोरी के पत्रांक–518, दिनांक–08.10.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि लगान निर्धारण वाद संख्या–2572/1988–89 एवं 2577/1988–89 से संबंधित कोई पर्चा निर्गत नहीं किया गया है।

iv. अनुमण्डल. पदाधिकारी, चतरा के पत्रांक–527, दिनांक–28.09.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि माल निर्धारण वाद संख्या–2572/1988–89 से संबंधित कोई दस्तावेज कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।

v. वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंण्डल चतरा के पत्रांक–2722, दिनांक–15.10.2025 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना संख्या–67, अंतर्गत मौजा नोनगॉव, खाता संख्या–119, प्लॉट संख्या–1626, रकवा–7.67 ए0 भूमि अधिसूचित/सीमांकित वन भूमि है।

उक्त परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लगान निर्धारण से संबंधित **Form M** के आधार पर दावा कर रहे है तथा जमाबंदी भी कायम है जबकि प्रश्नगत भू–खण्ड अधिसूचित /सिमांकित वन भूमि है। विदित है कि गैरमजरूआ खास किस्म की भूमि पर यदि बनावटी एवं फर्जी कागजातों के आधार पर यदि कोई दावा करता हो, तो सरकारी प्रावधान के अन्तर्गत ऐसे जमाबन्दी को विधिवत् रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जानी है।

अतएव आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उभय पक्ष की जमाबंदी को स्थगित किया जाता है तथा अंचल अधिकारी, पत्थलगडा को यह निर्देश दिया जाता है कि तद्नुसार प्रश्नगत भूमि के मामले में BLR Act की धारा 4H के अन्तर्गत अलग से अभिलेख खोलकर सुनवाई करते हुए स्पष्ट अनुशंसा के साथ अभिलेख भेजेंगें, ताकि नियमानुसार अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।

असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Sunny Raj
Date: 2025.11.10 18:00:28 +05:30
Location: 192.168.1.9

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Scanned with OKEN Scanner